

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2018/ 823

दिनांक : 27/11/2018

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
भरतपुर/डूंगरपुर/नागौर/बाडमेर/
जयपुर द्वितीय।

विषय : आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण हेतु।

— :: — :: —

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग के प्रशासनिक विभाग के अनुमति पत्र क्रमांक:प. 25(9)चिस्वा/2/2012 दिनांक 08.05.12 के द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 06.10.10 के अनुसार आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को विशिखानु (इन्टर्नशिप) प्रशिक्षण अवधि 06 माह का कार्यक्रम निर्धारित करने हुए शेष रहें 06 माह के प्रशिक्षण हेतु उक्त अधिसूचना के बिन्दू संख्या 06 के अनुसार इस विभाग के फार्मसी/पीएचसी/ग्रामीण औषधालय अथवा जिला अस्पताल में उक्त प्रशिक्षण पूरा करने का विवरण अंकित है।

अतः आपको आदेश दिये जाते हैं कि इस विभाग को अग्रेषित निम्नांकित छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण हेतु आपके अधीन संस्थान में प्रशिक्षण करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का श्रम करें:-

क्र सं.	CMHO जिनके अधीन इन्टर्नशिप की जानी है	छात्र/छात्रा का नाम	निवास का पता
1	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर	डॉ० इन्द्रसैन पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार	174 मीणा मौहल्ला भवनपुरा तह. रूपवास जिला भरतपुर
2	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर	डॉ० मनीष भगोरा पुत्र श्री शान्ति लाल भगोरा	हिडवाफला ग्राम झीझवा पोस्ट बरोठी तह. बिछीवाड़ा जिला डूंगरपुर
3	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर	डॉ० सुरेश चन्द पुत्र श्री तुलछा राम	गर्ल्स स्कूल के पास, गौरज चौक, नावां सिटी जिला नागौर
4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय	डॉ० प्रकाश चन्द यादव पुत्र श्री मुरलीधर यादव	473, अहिरों की बड़ी, ढाणी ग्राम जैतपुरा तह. चौमूं जिला जयपुर
5	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर	डॉ० सतपाल गोदारा पुत्र श्री मोती राम गोदारा	राजाराम होस्टल के पीछे बालोतरा जिला बाडमेर

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2018/ 823

दिनांक : 27/11/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. संबंधित छात्र/छात्रा को पालनार्थ।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।